

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ऋण

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक- 06/06/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय अंतर्गत राज्य के दो नगर निगमों में नियुक्त तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/सम्बद्ध कार्यालयों में प्रतिनियुक्त खान पर्षद, हजारीबाग से समायोजित कुल 27 कर्मियों के स्थापना वेतनादि मद में अधियाचित राशि कुल रु० 1,23,37,409/- के विरुद्ध ऋण के रूप में कुल अधियाचित राशि का 40% यथा, रु० 49,34,963/- (उन्चास लाख चौतीस हजार नौ सौ तिरसठ रुपये) मात्र ऋण राशि की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय अंतर्गत राज्य के दो नगर निगमों में नियुक्त तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/सम्बद्ध कार्यालयों में प्रतिनियुक्त खान पर्षद, हजारीबाग से समायोजित कुल 27 कर्मियों के स्थापना वेतनादि मद में अधियाचित राशि कुल रु० 1,23,37,409/- के विरुद्ध ऋण के रूप में कुल अधियाचित राशि का 40% यथा, रु० 49,34,963/- (उन्चास लाख चौतीस हजार नौ सौ तिरसठ रुपये) मात्र ऋण राशि की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:-

क्र०	निगम का नाम	कर्मियों की सं०	अध्याचित राशि	अध्याचित राशि का 40% ऋण	कोषागार का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1	हजारीबाग	17	72,17,403	2886961	हजारीबाग	कार्यपालक पदाधिकारी
2	गिरिडीह	10	51,20,006	2048002	गिरिडीह	
योग		27	1,23,37,409	49,34,963	(उन्चास लाख चौतीस हजार नौ सौ तिरसठ रुपये)	

- स्वीकृत/आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर विकास एवं आवास विभाग के मांग संख्या-48 के अधीन स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-6217-शहरी विकास के लिए कर्ज-उप मुख्यशीर्ष-60-अन्य शहरी विकास योजनाएँ-लघुशीर्ष-191-नगर निगमों को कर्ज-उपशीर्ष-03-नगर निगमों को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के लिए ऋण-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-63-ऋण एवं अग्रिम- (विपत्र कोड-48S621760191030763) अंतर्गत उपबंधित राशि 21.50 करोड़ रु० से की जायेगी।
- स्वीकृत ऋण की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के अनुसार विपत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत की जायेगी।
- विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत है:-


क्र०	निगम का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
1	हजारीबाग	48/10.06.2016	1,86,01,778	1,86,01,778
		350/06.03.2017	4,29,070	4,29,070
2	गिरिडीह	46/10.06.2016	1,02,55,519	1,02,55,519
		352/06.03.2017	3,60,043	3,60,043

- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य के संचित निधि से राशि की निकासी के उपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधी धाराओं के अनुसार राशि को निकाय कोष में संधारित करने के पश्चात् ही नियमानुसार व्यय करेंगे।
- उक्त राशि की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या-2223 दि०-09.09.09 एवं 1591 दि०-16.05.11 में लिये गये निर्णय के आलोक में स्वीकृति किया जाना है। नियमानुसार निकायकर्मियों के पंचम/छठे वेतन का निर्धारण निकाय स्तर से किये जाने के पश्चात् जिला लेखा पदाधिकारी से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

7. संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि निकायकर्मियों को पंचम/छठे वेतनमान पर भुगतान से पूर्व यह आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित निकायकर्मियों को वित्त विभाग के नियमानुसार वेतन का निर्धारण किया गया है एवं निर्धारित वेतन का सक्षम स्तर से सत्यापन कराये जाने की जिम्मेवारी कार्यपालक पदाधिकारी की होगी। अनुमान्यता से अधिक वेतन प्राप्त करनेवाले कर्मियों का अतिरिक्त वेतन का सामंजस्य कराये जाने की जिम्मेवारी भी कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।
8. स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान निकाय के वैसे कर्मचारियों को किया जायेगा, जो स्वीकृत पद के विरुद्ध सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिनांक-15.11.2000 को निकाय के नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। आवंटित राशि का भुगतान निकाय में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
9. स्वीकृत ऋण की अदायगी राशि की निकासी की तिथि से पाँच वर्ष बाद 20 समान किस्तों में की जायेगी। स्वीकृत ऋण पर 13% की दर से ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान राशि के निकासी के एक वर्ष बाद से संबंधित निगम द्वारा नियमानुसार सरकार को समय-समय पर किया जायेगा। ऋण वसूली की शर्तें भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तनीय होगी।
10. संबंधित नगर निगम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत ऋण की राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि का सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायेंगे।
11. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच-पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. राशि के आवंटन विषयक प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अतः महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि संबंधित नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम से ऋण राशि का प्राधिकार पत्र शीघ्र निर्गत करते हुए प्राधिकार पत्र की एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जाय।


विश्वासभाजन


(अरुण कुमार सिंह) 5.6.18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-02/न०वि०/स्था० व्यय/खान पर्वद/कर्म वेतन/118/2018-34 राँची, दिनांक-06/06/18

प्रतिलिपि-माननीय (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, हजारीबाग/उपायुक्त, हजारीबाग एवं गिरिडीह/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग एवं गिरिडीह कोषागार/अध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग एवं गिरिडीह नगर निगम/श्री कुणाल, विशेषज्ञ (IT Specialist)/Online आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर मुख्य सचिव।